

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री सुदर्शन सिंह तोमर

क्र०सं०	पत्रावली सं०	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	06/2019	16/09/2019	सरकार बनाम मुफीद	30.03.2026	1 लगायत 3

1. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर। —सायल(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मुफीद पुत्र वसीर खां जाति तेली मुसलमान उम्र 30 साल निवासी चुली गेट नं० 02 स्कूल के पास गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
—गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री मुफीद पुत्र वसीर खां जाति तेली मुसलमान उम्र 30 साल निवासी चुली गेट नं० 02 स्कूल के पास गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क्र.सं	मु०नं०	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	311/16	09.05.2016	13 RPGO	155	31.05.2016	100 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित
2	338/19	20.05.2016	13 RPGO	177	29.06.2016	100 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित

इस्तगासा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्री मुफीद पुत्र वसीर खा जाति तेली मुसलमान उम्र 30 साल निवासी चुली गेट नं० 02 स्कूल के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में रहता है। जो बचपन से लिखपढ नहीं पाया और कस्बा गंगापुर सिटी के बदमाशान के साथ उठ बैठ कर शराब पीना, जुआ खेलना, बीडी पीना सीख गया इस कारण बुरी आदतों में पड जाने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाले नागरिकों को सट्टा की लगाईवाली करने पर पाबन्द करने लग गया और स्वयं खाईवाली करने लग गया। जिसके खिलाफ थाना गंगापुर सिटी पर 02 मुकदमात दर्ज है। दोनो मुकदमात मे सजायापत्ता है। नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार खुले आम सट्टे की खाईवाली करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिये एवं शान्ति व्यवस्था के लिये पूर्ण रुपेण खतरा बन गया है। इससे लोग भारी परेशान हैं। जिसकी आम सौहरत भी खराब है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की नौयत में आने वाले विभिन्न अपराध उक्त अपराधी अम्यालित

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/19 सरकार बनाम मुफीद

करता आ रहा है। तथा इसको कानून का कोई डर नहीं रह गया है। बार-बार गिरफ्तारी के बावजूद भी यह लगातार घटनाएँ कर रहा है।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष से दौराने बहस निवेदन किया कि गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 2 बार 100-100 रु० के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्षों से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

गैरसायल ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण सन् 2019 से विचाराधीन है। गैरसायल तभी से अनवीक्षा भुगत रहा है। गैरसायल द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है। गैरसायल मजदूर पेशा व्यक्ति है। गैरसायल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी कभी भी आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं रहा है। और ना ही कभी भी जुआं एवं सट्टा आदि लगाने का कार्य किया है। साथ ही गैर सायल ने गैर सायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज हैं। राजस्थान सार्वजनिक द्युत अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 2 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया हैं। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 2 बार 100-100 रु० के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। है जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गैरसायल की गतिविधियों से लोक व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उक्त आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करना न्याय संगत है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/19 सरकार बनाम मुफीद

अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान हैं। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसायल को 07 दिन की अवधि के लिए सवाई माधोपुर जिले से थाना बदर करने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल आज की तारीख से 15 दिन पश्चात् यानि 16.04.2026 से 07 दिन के लिए जिला करौली के थाना कुडगांव में दिन में एकबार प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कुडगांव गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा साप्ताहिक रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित करेंगे। थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियम तिथि को थाना कुडगांव जिला करौली में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

थानाधिकारी, थाना कुडगांव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करेंगे एवं थानाधिकारी, थाना गंगापुर सिटी गैरसायल के कस्बा गंगापुर सिटी में वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को दी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह- तोमर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी